U. P. State Industrial
Development Corporation Ltd.

upsidc

UPSIDC Complex
A-1/4, LAKHANPUR
Post Box No. 1050
Kanpur - 208 024
Phones : 2582851-53 (PBX)
Fax : 0512-2580797
Website : www.upsidc.com
E.Mail : feedback@upsidc.com

Reference No. /SIDC/ Dated

—:कार्यालय आदेश:—

निगम की प्रचलित नीति को संकलित करते हुए ऑपरेटिंग मैनुअल के पुनरीक्षण की कार्यवाही करते समय नीति में निम्नलिखित परिवर्तन को व्यवहारिक एवं विधिक दृष्टिकोण से उचित पाते हुए निदेशक मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया। निदेशक मण्डल द्वारा अपनी दिनांक 28.9.10 को निष्पादित 271वीं बैठक में प्रस्तावित परिवर्तनों पर अनुमति प्रदान की गई। नीति में अनुमोदित परिवर्तन निम्नानुसार है:—

1. <u>आरक्षण धनराशि के आंशिक भुगतान के मामले:—</u>

पूर्व में निदेशक मण्डल द्वारा ऐसे मामले जिसमें दर परिवर्तन हो गया हो एवं 1 प्रतिशत (अधिकतम रु0 25000/—तक) का आंशिक भुगतान अवशेष रह गया हो, को भी आवंटन दर पर मय ब्याज स्वीकारने की अनुमति दी गयी थी।

271वीं बैठक में रु0 25000/— की अधिकतम सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है परन्तु उक्त छूट आवंटन के केवल 6 माह तक ही उपलब्ध रहेगी।

2. <u>आरक्षण धनराशि के भुगतान न करने पर कटौती:—</u>

आवंटन के प्रकरणों में आरक्षण धनराशि के भुगतान नहीं करने पर अथवा जमा करने की अन्तिम तिथि के पूर्व सरेण्डर करने पर धरोहर धनराशि से 1 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

3. <u>पुर्नजीवीकरण की नीति में परिवर्तन:—</u>

(क) पुर्नजीवीकरण के पश्चात् आवंटन निरस्तीकरण के तिथि की स्थिति में पुर्नबहाल हो जाएगा।

(ख) वांछित की गई पुर्नजीवीकरण लेवी के सम्बन्ध में Supplementary deed निष्पादित करना होगा।

(ग) निरस्त किये गये आवंटन पर यदि इकाई निरस्तीकरण के पूर्व उत्पादनरत् रही हो तो पुर्नजीवीकरण शुल्क लागू स्लैब दर का आधा होगा।

<u>पार्टनरशिप एवं सोसाइटी के मामलों में Controlling interest की परिभाषा</u>

साझेदारी संस्था, कम्पनी (प्राइवेट एवं पब्लिक) तथा सोसाइटी तीनों में Controlling interest की निम्न रूप से परिभाषित कर दिये गये हैं:—

1. साझेदारी संस्था:– आवंटन/हस्तान्तरण के समय में मूल साझेदार/पारिवारिक सदस्य (आपरेटिंग मैनुअल में परिवार की परिभाषा के अनुसार) के साथ फर्म के लाभ/हानि, कैपिटल में 51% अंश बनाए रखना होगा।
2. कम्पनी:– मूल अंशधारक/अपनी होल्डिंग कम्पनी के साथ/पारिवारिक सदस्यों के साथ अंश पूँजी में बहुमत (51%) बनाए रखेंगे। उपरोक्त गणना हेतु कुल अंश पूँजी में वित्तीय संस्थान, सामान्य पब्लिक के शेयर एवं अन्य असम्बद्ध संस्था (neutral bodies) के शेयर घटा दिये जाएगें।
3. सोसाइटी:– आवंटन/हस्तान्तरण के समय के मूल सदस्यों को अपने परिजनों के साथ बहुमत में रहना होगा।

5. परिवार की परिभाषा:–

पूर्व में अनुमन्य 'अविवाहित सगी बहन' के स्थान पर 'सगी बहन' को परिवार में सम्मिलित माना जायेगा।

6. मृत्यु एवं अपंगता के मामले में हस्तान्तरण:–

पूर्व में लागू एकल स्वामी आवंटी के मृत्यु एवं स्थायी तथा पूर्ण अपंगता के मामलों में भूखण्ड के तीसरे पक्ष को हस्तान्तरित होने पर मृत्यु के केवल 2 साल तक ही बिना लेवी अनुमन्य किया जा सकेगा।

7. उप विभाजन के मामले:–

(क) उप विभाजन में उप विभाजन शुल्क को 2% से 5% /न्यूनतम रु0 20/– के स्थान पर रु0 50/– करने सम्बन्धी।

(ख) उप विभाजन भूखण्डों के विक्रय हेतु वर्तमान में प्राविधानित 2 वर्ष के समय के स्थान पर 3 वर्ष के दिये गये हैं।

(ग) निर्धारित समयावधि में विक्रय नहीं कर पाने पर समय विस्तारण शुल्क प्रचलित दर 2% प्रति वर्ष देय होगा।

8. समय विस्तारण के मामले:–

धीमी गति क्षेत्रों में 2 साल तक भूखण्ड के रिक्त बने रहने पर समय विस्तारण के मामलों में निगम द्वारा पूर्व में स्वीकृत तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष आवंटन दर का क्रमशः 5% से 10% के स्थान पर 2.5% से 5% लिया जायेगा।

9. सबलेटिंग:–

एक भूखण्ड पर आवंटी के क्रियाशील रहने पर एक से अधिक सबलेटिंग की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। इस सम्बन्ध में प्रभावी सबलेटिंग शुल्क प्रचलित प्रीमियम दर का 3% प्रतिवर्ष, प्रति वर्गमीटर देय होगा।

10. ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक भूखण्डों के बिड:–

बिड प्रक्रिया में न्यूनतम 2 बिडर्स नहीं होने पर 2 बार और विज्ञापन किया जाएगा। इसके पश्चात् भी कोई नया बिड प्राप्त नहीं होने पर single बिड को स्वीकार किया जा सकेगा। पहले बिड के बिडकर्ता को प्रत्येक बार अपने बिड को upgrade करने का अधिकार होगा। न्यूनतम एक बिड को भी स्वीकार किया जा सकता है।

11. UPFC एवं PICUP की नीलामी के क्रय किये गये भूखण्डों के सम्बन्ध में:—

वर्तमान में क्रेता द्वारा सेल लेटर के 3 माह के अन्दर पूर्ण शुल्क के साथ आवेदन करने पर बिना हस्तान्तरण शुल्क के क्रय को नियमित करने का प्राविधान है। 3 माह के पश्चात् पूर्ण हस्तान्तरण शुल्क लिये जाने के प्राविधान को नियमानुसार परिवर्तित कर दिया गया है:—

(क) यदि उपरोक्तानुसार आवेदन 3 से 6 माह में जमा किया जाता है तो प्रचलित प्रीमियम का 5%

(ख) यदि उपरोक्तानुसार आवेदन 6—12 माह में जमा किया जाता है तो प्रचलित दर का 10%

(ग) यदि उपरोक्तानुसार आवेदन 1 वर्ष के उपरान्त जमा किया जाता है तो पूर्ण शुल्क

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(एस0के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

संदर्भ सं0 :3078-81/एसआईडीसी/आईए Policy-Vol.XX दि0: 28-12-10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

1. स्टाफ आफिसर, प्रबन्ध निदेशक कैम्प/ वैय0 सचिव, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, कैम्प।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, एसईजेड।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग।

(एस0के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक